

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प संगरपुर

407  
8/6/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी संगरपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक गुरजेश की रिपोर्ट तथा तहसीलदार करौली / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम संगरपुर तहसील करौली व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् १०७१-७५ में खाता संख्या ८२ में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	संगरपुर	82	चैन सिंह रामवीर पि. फिरेजी मुन्नी वेवा फिरेजी ; मीना अनीता रुची कवीरा पुत्री फिरेजी नावा सरसक माता मुन्नी जाति चमार सा. देह	चैन सिंह रामवीर पि. फिरेजी मुन्नी वेवा फिरेजी ; मीना अनीता रुची कवीरा पुत्री फिरेजी नावा सरसक माता मुन्नी जाति जाख सा. देह

8/6/18  
( उप खण्ड अधिकारी )  
पीठासीन करौली  
लोक अदालत, कैम्प संगरपुर  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार करौली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।